Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बाड़मेर में सहायक अभियन्ता 5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *28 जुलाई।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये सोहनलाल सहायक अभियन्ता, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति धोरीमन्ना, अतिरिक्त चार्ज सहायक अभियन्ता, पं.सं. गुढ़ामलानी एवं विकास अधिकारी, पं.स. पायला कल्ला जिला बाड़मेर को परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि परिवादी की फर्मों द्वारा किये गये विभिन्न विकास कार्यों के बिल भुगतान की एवज में 10 प्रतिशत कमीशन के हिसाब से सोहनलाल सहायक अभियन्ता, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति धोरीमन्ना, अतिरिक्त चार्ज सहायक अभियन्ता, पं.सं. गुढ़ामलानी एवं विकास अधिकारी, पं.स. पायला कल्ला जिला बाड़मेर एवं मानाराम सहायक अभियन्ता, नरेगा पं.स. धनाउ, जिला बाड़मेर द्वारा पूर्व में ही 16 लाख रुपये वसूल चुके हैं। उक्त फर्मों की सिक्योरिटी डिपोजिट राशि को रिलीज करने की एवज में उक्त दोनों आरोपियों द्वारा 5 लाख रुपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की स्पेशल यूनिट, जोधपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा बाड़मेर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये सोहनलाल पुत्र श्री पूरणमल निवासी गोठड़ा तगेलान, तहसील व जिला सीकर हाल सहायक अभियन्ता, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण पंचायत समिति धोरीमन्ना, अतिरिक्त चार्ज सहायक अभियन्ता, पं.सं. गुढ़ामलानी एवं विकास अधिकारी, पं.स. पायला कल्ला जिला बाड़मेर को परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी मानाराम सहायक अभियन्ता, नरेगा पं.स. धनाउ, जिला बाड़मेर ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।